**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**

**सं0 –** 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78/2020 4696 पटना, दिनांक 22/12/2022

## आदेश

सीतामढ़ी जिले के राजस्व ग्राम बुलाकीपुर ग्राम के श्री रामविश्वास राउत, द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन श्री पवन कुमार (AEN00519) के विरूद्ध परिवाद पत्र दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये खानापुरी में बिना पैसे का कार्य नहीं करने, रैयतों से दाखिल–खारिज के नाम पर पैसे की मांग करते हैं। उक्त राजस्व ग्राम का अवैध राशि लेन–देन का एक विडियो भी वायरल हुआ है।

प्राप्त परिवाद पत्र एवं वायरल विडियो की जांच हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निदेशालय पत्रांक 3085 दिनांक 04.11.2022 द्वारा निदेशित किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक क्रमशः 1055 दिनांक 03.11.2022 एव 1224 दिनांक 12.11.2022 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा राजस्व पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के साथ अपना मंतव्य अंकित किया गया है कि राजस्व पदाधिकारी द्वारा राजस्व ग्राम बुलाकीपुर में जाकर संबंधित रैयतों से मिलकर सत्यता एवं तथ्य की जांच की गयी है, जिसमें मामले को सत्य पाया गया है तथा दोषी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त परिवाद पत्र एवं बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 4129 दिनांक 18.11.2022 द्वारा श्री कुमार से 24 घंटे के अन्दर में इस आदेश के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भ्रष्टाचार के आरोप में इनकी संविदा नियोजन समाप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित नहीं किया गया है।

इसी बीच बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 1275 दिनांक 25.11.2022 द्वारा यह सूचित किया गया कि श्री कुमार द्वारा अपना त्याग पत्र समर्पित किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र तदनुसार बंदोबस्त पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रतिवेदित था, जो जांच में सत्य पाया गया है। आरोपित द्वारा जांच का सामना करने तथा लगाए गए आरोप से बचने हेतु अपने पद से त्याग पत्र दिया गया है। इनका त्याग पत्र स्वीकृत किया जाना उचित नहीं होगा बल्कि संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही अनुशासन बनाए रखने के दृष्टि से उचित होगा। इनके इस कृत्य से यह स्पष्ट है कि ये एक अनुशासनहीन एवं भ्रष्ट कर्मी है, इनके सेवा में रहने से आम जनों के बीच सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य की छवि धुमिल होने की संभावना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री पवन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00519) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

21/12/22

**(जय सिंह)**
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

**ज्ञापांक** :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78 / 2020 4696 **पटना, दिनांक** :– 22/12/20

**प्रतिलिपि** :– श्री पवन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00519), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

**ज्ञापांक** :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78 / 2020 4696 **पटना, दिनांक** :– 22/12/20

**प्रतिलिपि** :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया वायरल विडियो एवं प्रमाणित आरोपों के आलोक में इनके विरूद्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई अपने स्तर से करने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भेजने की कृपा की जाय।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

**ज्ञापांक** :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78 / 2020 4696 **पटना, दिनांक** :– 22/12/20

**प्रतिलिपि** :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवंपरिमाप